

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 05/2022-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 मई, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, माह अप्रैल, 2022 की प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को मई, 2022 के 24वें दिन तक विस्तारित करते हैं।

[फ. सं. सीबीआईसी-20006/9/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार